अनुबंध - II

बैंकों के भविष्य के नकदी प्रवाहों को संशोधित
कालखंडों में वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश

लेखा शीर्ष	कालखंडों में वर्गीकरण
अ. बहिर्गमन	
1. पूंजी, आरक्षित निधियां और अधिशेष	5 वर्ष से अधिक के कालखंड में
2. मांग जमाराशियां (चालू और बचत बैंक जमाराशियां)	बचत बैंक और चालू जमाराशियों को अस्थिर और प्रमुख हिस्सों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है । सामान्यत: बचत बैंक जमाराशियां (10%) और चालू जमाराशियां (15%) मांग पर आहरण योग्य रहती हैं । इस हिस्से को अस्थिर माना जा सकता है । अस्थिर हिस्से को 1 दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिनों के कालखंड में रखा जा सकता है और बैंकों के अनुभव और अनुमान के आधार पर प्रमुख हिस्से को 1-3 वर्ष से अधिक वर्षों के कालखंड में रखा जा सकता है । बचत बैंक और चालू जमाराशियों का उपर्युक्त वर्गीकरण केवल बेंचमार्क है । जो बैंक अपने पहले के आंकड़ों / अनुभव के आधार पर उक्त राशियों के आने और बाहर जाने, उनकी प्रवृत्ति, उनमें निहित विकल्पों आदि के संबंध में सही अनुमान लगा सकते है, वे उन्हें उचित कालखंड में वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात् संविदागत परिपक्वता के बजाय व्यवहारगत परिपक्वता मानी जा सकती है, बशर्ते बोर्ड / आस्ति-देयता समिति का अनुमोदन प्राप्त हो ।
3. मीयादी जमाराशियां	संबंधित परिपक्वता कालखंड । जो बैंक अपने पहले के आंकड़ों / अनुभव के आधार पर व्यवहारगत स्वरूप, उक्त राशियों के आने और बाहर जाने, उनमें निहित विकल्पों आदि के संबंध में बेहतर अनुमान लगा सकते हैं, वे खुदरा जमाराशियों को उचित कालखंड में वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात् अवशिष्ट परिपक्वता के बजाय व्यवहारगत परिपक्वता के आधार पर ऐसा कर सकते हैं, परंतु थोक जमाराशियों को परिपक्वता के संबंधित कालखंड के अंतर्गत दर्शाना चाहिए । (इस विवरण के लिए थोक जमाराशियां 15 लाख रुपये या ऐसी ही कोई उच्चतर सीमा से अधिक राशि हो सकती है जिसे बैंक के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो)
4. जमा प्रमाणपत्र, उधार और बाण्ड (गौण ऋण सहित)	संबंधित परिपक्वता कालखंड । जहां कॉल / पुट ऑप्शन लिखत के जारी करने के विन्यास में शामिल होते हैं, वहां कॉल /पुट की तारीख को परिपक्वता की तारीख मानना चाहिए और राशि को संबंधित कालखंड में दर्शाना चाहिए ।
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	
(i) देय बिल	(i) कोर घटक का तर्कसंगत अनुमान पहले के आंकड़ों और व्यवहारगत स्वरूप के आधार पर लगाया जाना चाहिए और उसे '1-3 वर्ष से अधिक' के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए । शेष राशि व्यवहारगत स्वरूप के अनुसार 1 दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिनों के कालखंडों में रखी जानी चाहिए ।
लेखा शीर्ष	कालखंडों में वर्गीकरण

(ii) ऋण हानि और निवेशों में मूल्यह्रास को छोड़कर अन्य के लिए प्रावधान	(ii) प्रयोजन के आधार पर संबंधित कालखंड में ।
(iii) अन्य देयताएं	संबंधित परिपक्वता कालखंड । जो मदें नकद अदायगियों की द्योतक नहीं हैं (अर्थात् अग्रिम के रूप में प्राप्त आय आदि) उन्हें 5 वर्ष से अधिक के कालखंड में रखा जा सकता है ।
6. प्राप्त निर्यात पुनर्वित्त	आधारभूत आस्तियों का संबंधित परिपक्वता कालखंड
<u>आ. निधियों का आगम</u> 1. नकद 2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	 1 दिन का कालखंड अपेक्षित आरक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात के ऊपर अतिरिक्त शेष 1 दिन के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये तथा सांविधिक शेषों को 14 दिन की समयपश्चता के साथ मांग और मीयादी देयताओं के संबंधित परिपक्वता - स्वरूप के अनुसार विभिन्न कालखंडों के बीच बांट दिया जाये ।
3. <u>अन्य बैंकों के पास शेष</u> (i) चालू खाता (ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि, मीयादी जमाराशियां तथा अन्य प्लेसमेंट	 (i) न्यूनतम शेष राशियों की शर्तों के कारण आहरित न किये जाने योग्य भाग को 1-3 वर्ष के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये और बाकी शेष 1 दिन के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये । (ii) संबंधित परिपक्वता कालखंड ।
4. निवेश (प्रावधानों को घटाकर)[#] (i) अनुमोदित प्रतिभूतियां	 (i) विfभन्न कालखंडों में मांग और मीयादी देयताओं के अनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के लिए पुनर्निवेश किये जाने हेतु अपेक्षित राशि को छोड़कर संबंधित परिपक्वता कालखंड ।
(ii) कंपनी डिबेंचर और बांड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र, प्रतिदेय अधिमान शेयर, पारस्परिक निधियों की यूनिटें (सीमित अवधि) , आदि	(ii) संबंधित परिपक्वता कालखंड । अनर्जक निवेशों के रूप में वर्गीकृत निवेशों को 3-5 वर्ष के कालखंड (अवमानक) में अथवा 5 वर्ष के कालखंड (संदिग्ध) में दर्शाया जाना चाहिए ।
(iii) शेयर	(iii) सूचीबद्ध शेयरों को (स्ट्रेटेजिक निवेश को छोड़कर) 50% हेयरकट के साथ 2-7 दिन के कालखंड में तथा अन्य शेयरों को 5 वर्ष से अधिक का कालखंड
(iv) म्युच्युअल फंड की यूनिटें (असीमित अवधि)	(iv) 1 दिन का कालखंड
लेखा शीर्ष	कालखंडों का वर्गीकरण

[#] प्रावधानों को सकल निवेशों में से घटाया जाये बशर्ते प्रावधान प्रतिभूतिवार हों । अन्यथा प्रावधानों को 5 वर्षों से अधिक के कालखंड में दर्शाया जाये ।

(v) सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेश	(v) 5 वर्ष से अधिक का कालखंड
(vi) व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में प्रतिभूतियां	निर्वेधीकरण (डिफीज़मेंट) की अवधियों के अनुसार 1 दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 29-90 दिन
5. अग्रिम (अर्जक) (i) खरीदे और भुनाये गये बिल (डीयूपीएन के अंतर्गत आनेवाले बिलों सहित)	(i) संबंधित परिपक्वता कालखंड
(ii) नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट (अस्थायी ओवरड्राफ्ट सहित) तथा कार्यशील पूंजी का मांग ऋण घटक	(ii) बैंकों को बकाया राशियों के आधार पर अग्रिम लेने के व्यावहारिक तथा मौसमी स्वरूप (पैटर्न) का अध्ययन करना चाहिए तथा प्रमुख और अस्थिर हिस्से की पहचान की जानी चाहिए । अस्थिर हिस्से को संबंधित परिपक्वता के कालखंडों में दर्शाया जाना चाहिए तथा प्रमुख हिस्से को 1-3 वर्ष के कालखंड में दर्शाया जाना चाहिए ।
(iii) मीयादी ऋण	(iii) अंतरिम नकदी प्रवाह संबंधित परिपक्वता कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये ।
6. अनर्जक आस्तियां (प्रावधानों, उचंत ब्याज और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से प्राप्त दावा राशियों को घटाकर) (i) अवमानक (ii) संदिग्ध और हानिवाली	 (i) 3-5 वर्ष से अधिक का कालखंड (ii) 5 वर्ष से अधिक का कालखंड
7. अचल आस्तियां/पट्टेवाली आस्तियां	5 वर्ष से अधिक का कालखंड /अंतरिम नकदी प्रवाह संबंधित परिपक्वता के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये ।
8. अन्य आस्तियां अमूर्त आस्तियां	 अमूर्त आस्तियां और ऐसी आस्तियां जो नकद प्राप्य राशियाँ नहीं हैं, उनको 5 वर्ष से अधिक के कालखंड के अंतर्गत दर्शाया जाये ।
ग. तुलनपत्रेतर मदें	
1. प्रतिबद्ध /उपलब्ध ऋण की व्यवस्थाएं (i) संस्थाओं को / से प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्थाएं	 (i) 1 दिन का कालखंड
(ii) नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट / कार्यकारी पूंजी सीमाओं के मांग ऋण घटक का उपयोग न किया गया भाग (बहिर्गमन) (iii) निर्यात पुनर्वित्त (आगम)	(ii) बैंक खातों से लिये गये उधारों के व्यावहारिक और मौसमी स्वरूप (पैटर्न) का अध्ययन करें और इस प्रकार पता लगायी गयी राशियों को 12 महीने तक के संबंधित परिपक्वता कालखंडों के अंतर्गत रखें । (iii) 1 दिन का कालखंड
लेखा शीर्ष	कालखंडों का वर्गीकरण

2. आकस्मिक देयताएं साख-पत्र /गारंटियां (बहिर्गमन)	साख-पत्र / गारंटियों के अंतरण में प्रारंभ में नकदी बाहर जाती है । इस प्रकार के अंतरण के संबंध में ऐतिहासिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाना चाहिए और बकाया साख-पत्रों / गारण्टियों (मार्जिन घटाकर) की इस प्रकार प्राप्त राशि को विभिन्न कालखंडों में रखा जाना चाहिए । अंतरण के फलस्वरूप निर्मित आस्तियों को वसूली की संभाव्य तारीखों के आधार पर संबंधित परिपक्वता कालखंडों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए ।
3. अन्य आगम/बहिर्गमन (i) रिपो / पुन: भुनाये गये बिल (डीयूपीएन) / सीबीएलओ/स्वैप आईएनआर /यूएसडी, परिपक्व होनेवाली विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं आदि (बहिर्गमन /आगम)	(i) संबंधित परिपक्वता कालखण्ड
(ii) देय / प्राप्य ब्याज (बहिर्गमन / आगम) उपचित ब्याज, जो रिपोर्टिंग के दिन बहियों में दर्शाया गया है ।	(ii) संबंधित परिपक्वता कालखण्ड

टिप्पणी :

(i) नकदी के प्रवाह के कारण देयताएं, अर्थात् आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेष में रिपोर्टिंग शुक्रवार को कमी, वेतन समझौता, पूंजी व्यय आदि, जो बैंक को ज्ञात हैं तथा अन्य आकस्मिकताओं को संबंधित परिपक्वता कालखंडों में दर्शाया जाये । वृद्धिशील एसएलआर अपेक्षाओं सहित नकदी का बहिर्गमन " बहिर्गमन-अन्य" के आगे दर्शाया जाए ।

(ii) सभी अतिदेय देयताओं को व्यवहारगत अनुमान के आधार पर 1 दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिनों के कालखण्ड में रखा जाये ।

(iii) अग्रिमों और निवेशों से जो ब्याज और किस्तें एक महीने से कम के लिए अतिदेय हैं व्यवहारगत अनुमानों के आधार पर उन्हें 1 दिन, 2-7 दिन तथा 8-14 दिनों के कालखंडों में रखा जाये । साथ ही, यदि पहले की प्राप्य राशियां वसूल न हुई हों तो देय ब्याज और किस्तें (अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने से पूर्व) 29 दिनों से 3 महीनों के कालखंड में रखी जायें ।

घ . अंतर की राशि का वित्तपोषण :

यदि 1 दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिन के कालखंडों के दौरान निवल संचयी नकारात्मक असंतुलन संबंधित कालखंडों में संचयी नकदी बहिर्गमन की 5%, 10%, 15%, और 20%, की विवेकपूर्ण सीमाओं से अधिक हो जाए, तो बैंक एक फुटनोट के जरिये यह दर्शाये कि वह इस अंतर को किस प्रकार वित्तपोाषित करेगा, ताकि इस असंतुलन की स्थिति को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर लाया जा सके । इस अंतर को बाजार से उधारों (मांग / मीयादी), बिल पुनर्भुनाई, रिपो और रुपयों में परिवर्तन के बाद विदेशी मुद्रा संसाधनों के विनियोजन (बिना स्वैप वाली विदेशी मुद्रा निधियों) आदि से वित्तपोषित किया जा सकता है ।